1.6 (07)

Annexure-I

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.....Memo..........   Dated.....14/12/2014......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **6.404675 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) **for Construction of Tatric (Jakholi) Toli Talli Motor Road Length 20.550 Km.) Irrigation Division (PMGSY) P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Birora, Pithuni, Thana Matena, Bhatkhola, Gauna, Toli Talli, Dhaili, Toli Malli, Gaon Village (s) in Almora tehsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **6.404675 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

16/12/14
(Vinod Kumar Suman)
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

official seal of the District Collector)

1.6 (08)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,
DISTRICT – ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level committee constituted under sechedule Tribes & other traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level committee of Almora District, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship of **Mr. VINOD KUMAR SUMAN I.A.S**. District Magistrate Almora on 14-12-14 at ...11... A.M / P.M. at Almora which the application claiming rights in Mail area measuring 6.404675 Hect. for the construction of Tatrik (Jakholi) talli toli Motor Road (Length 20.550 K.M.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division Level committee of ....ALMORA...... Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level committee,

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/ claims were found to have been made & hence District Level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

14.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
District Magistrate cum- Chairman
District Level committee, Almora.

1.6 (09)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **अल्मोड़ा**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, **अल्मोड़ा**

उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.1755 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **6.404675 हैक्टेयर** वन भूमि) का **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **अल्मोड़ा**) की दिनांक 14/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्रीमती रिंकू बिष्ट**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती रिंकू बिष्ट उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा–अध्यक्ष

2– श्री भूपेन्द्र सिंह जीना उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा –सदस्य

3– श्री हेम तिवारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा –सदस्य/सचिव

4– श्री चन्दन सिंह रौतेला बी0डी0सी0 क्षेत्र नितई –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना हेतु **6.404675 हैक्टेयर** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **6.404675 हैक्टेयर** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील अल्मोड़ा
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**बिरौड़ा**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बिरौड़ा** द्वारा दिनॉक 25·8·14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बिरौड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [हस्ताक्षर] ह0/– [हस्ताक्षर]

ग्राम सचिव प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिरौड़ा

वि० ख० – हवालबाग

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

जिला– अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) (अल्मोड़ा)

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 25/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:– बिरौड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री दीवान सिंह बिरौड़िया	[illegible]
2-	" मनोज सिंह बिरौड़िया	मनोज
3-	" पूरन सिंह बोरा	पूरन सिंह
4-	" गोविन्द सिंह बिरौड़िया	गोविन्द सिंह
5-	" कुन्दन सिंह बोरा	[illegible]
6-	" देव सिंह बोरा	[illegible]
7	[illegible] सिंह	[illegible]
8-	" राजेन्द्र सिंह बोरा	राजेन्द्र सिंह
9	" दलजीत सिंह बोरा	दलजीत सिंह बोरा
10.	" मोहन सिंह बोरा	[illegible]
11.	" राकेश सिंह बोरा	[illegible]
12.	" गोविन्द सिंह बिरौड़िया	[illegible]
13-	" राजेन्द्र सिंह बिरौड़िया	राजेन्द्र सिंह
14.	" बलवन्त सिंह बिरौड़िया	[illegible]
15.	" माधो सिंह बिरौड़िया	[illegible]
16-	" पान सिंह बिरौड़िया	पान सिंह
17-	" जमन सिंह बिरौड़िया	[illegible]
18	" ललित प्रसाद	[illegible]
19-	" आनन्द राम	[illegible]
20-	" पूनी राम	[illegible]
21-	" नरेन्द्र सिंह बोरा	[illegible]
22-	" नारायण सिंह बोरा	नारायण सिंह बोरा
23-	" गोविन्द सिंह बोरा	गोविन्द सिंह बोरा
24-	" कुंवर सिंह बिष्ट	कुंवर सिंह
25-	" बलवन्त सिंह बोरा	बलवन्त सिंह
26-	" सुन्दर सिंह बिरौड़िया	सुन्दर सिंह
27	" राजेश कुमार	राजेश कुमार

ह०/ [illegible] देवी

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत बिरौड़ा
वि० ख० – हवालबाग
जिला–अल्मोड़ा (उत्तरा०)

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**ढैली**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **ढैली** द्वारा दिनॉक 20/08/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ढैली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढैली
वि0ख0–लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

पूरन सिंह ढैला
प्रधान
ग्राम पंचायत – ढैली
वि0ख0– लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 20/08/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– ढैली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
2	मोहन सिंह	राजेन्द्र राम
3	राजेन्द्र राम	[illegible]
4	Ramchandra Ram.	[illegible]
5	~~मोहन सिंह~~ [illegible]	[illegible]
6	राजेन्द्र सिंह	R Singh
7	[illegible] सिंह	[illegible]
8	गोपाल राम	गोपाल राम
9	भास्कर सिंह ढैला	[illegible]
10	हरीश सिंह	हरीश सिंह
11	रमेश सिंह	रमेश सिंह
12	कुन्दन सिंह	[illegible]
13	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
14	पान सिंह	पान सिंह
15	मोहन सिंह	[illegible]
16	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
17	किशन सिंह	किशन सिंह
18	~~राजन सिंह~~ नाथू सिंह	नाथू सिंह
19	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
20	राजन सिंह	राजन सिंह
21	गोविन्द सिंह	[illegible]

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढैली
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

[signature]
फूल सिंह ढैला
प्रधान
ग्राम पंचायत – ढैली
ग्राम प्रधान
वि०ख०- लमगड़ा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः—**पिठौनी**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **पिठौनी** द्वारा दिनॉक 25.8.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **पिठौनी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत पिठौनी
पो० ऑ० - बिरौड़ा
विकास खण्ड-हवालबाग
जिला-अल्मोड़ा(उत्तरा०)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 25/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः— पिठौनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री मोहन सिंह	मोहन सिंह
2.	श्री बिरेन्द्र सिंह	बिरेन्द्र सिंह
3.	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
4	श्री शिव राज सिंह रौतेला	[illegible]
5.	श्री प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह
6	श्री हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह
7	श्री बिशन सिंह	बिशन सिंह
8	" सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
10	" हीरा सिंह	हीरा सिंह
11	" दया देवी	दया देवी
12	" सुरेश लाल	[illegible]
13	" अनिल कुमार	Akumar
14	रितेश रौतेला	R.Rautela
15	श्री कमला देवी	कमलादेवी
16	महेन्द्र सिंह अधिकारी	महेन्द्र सिंह अधिकारी
17	श्री प्रकाश राम	प्रकाश राम
18	सुरेश कुमार	Suresh
19		
20	प्रताप राम	प्रताप राम
21	ललित प्रसाद	ललितप्रसाद
22	हरीश राम	हरीशराम
23	श्री [illegible] सिंह रौतेला	[illegible]
24	श्री पूरन सिंह	पूरनसिंह

रेनू देवी
प्रधान
ह0/ ग्राम पंचायत पिठौनी
पो० ओ० - बिरौड़ा
ग्राम प्रधान विकास खण्ड-हवालबाग
जिला-अल्मोड़ा(उत्तरा०)

सहमती नोट — ग्राम पंचायत पिठौनी के सभी ग्रामवासियों का कहना है कि श्री सर्वजीत, हरीश राम, त्रिलोक राम, लछम राम, प्रताप राम, गोपाल राम, कुँवर सिंह, सुन्दर सिंह, गोपाल सिंह के घर से दो या तीन खेत छोड़ कर सड़क का कटान होना चाहिऐ इसमें सभी लोगों की सहमती है। इसमें कोई आपत्ती नहीं है।

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**भटखोला**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **भटखोला** द्वारा दिनॉक 14/08/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भटखोला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— (हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भटखोला
... (अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

ह0/— जीवन्ती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत – भटखोला
वि0 ख0 – हवालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(17)

दिनॉक 14/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– भटखोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मोहन सिंह S/o नर सिंह	[illegible]
	प्रताप सिंह S/o शेर सिंह	[illegible]
	हरीश सिंह S/o [illegible] सिंह	हरीश
	बहादुर सिंह S/o प्रेम सिंह	बहादुर सिंह
	प्रताप सिंह S/o किशन सिंह	P Singh
	जगन्नाथ सिंह S/o हर सिंह	जगन्नाथ सिंह
	पूरन सिंह S/o मदन सिंह	पूरन सिंह
	कमला देवी S/o राजेन्द्र सिंह	कमला देवी
	रघुनाथ सिंह S/o राम सिंह	R. Singh
	कमल S/o प्रेम सिंह	कमल सिंह
	भीमराम S/o दौलत राम	भीम राम
	प्रताप राम S/o शोभन राम	P ram
	मोहन राम S/o किशन राम	मोहन राम
	दिवान राम S/o किशन राम	Diwan Ram
	पान सिंह S/o किशन सिंह	पान सिंह
	राजेन्द्र सिंह S/o दान सिंह	राजेन्द्र सिंह
	पान सिंह S/o शेर सिंह	गोविन्द सिंह
	उमेद सिंह S/o राम सिंह	(thumbprint) जीवन्ती देवी
	जीवन्ती देवी W/o प्रताप सिंह	
	कमला देवी W/o नर सिंह	ईश्वरी
	ईश्वरी देवी W/o बहादुर सिंह	अमर सिंह
	अमर सिंह S/o हर सिंह	
	चन्दन सिंह S/o हर सिंह	(thumbprint)
	रेखा देवी W/o बहादुर सिंह	
	हरेन्द्र सिंह S/o [illegible] सिंह	N Singh
	नरेन्द्र सिंह S/o गोपाल सिंह	राम लाल
	राम लाल S/o लाल राम	(thumbprint)
	[illegible] देवी W/o दान सिंह	(thumbprint)

ईश्वरी देवी W/o मदन सिंह

नरेन्द्र सिंह S/o गोपाल सिंह — नरेन्द्र सिंह

ह0/ जीवन्ती देवी

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत – भटखोला
वि0ख0– [illegible] (अल्मोड़ा)

(18)

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखाली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**मल्ली तोली**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मल्ली तोली** द्वारा दिनॉक 03.11.14........को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मल्ली तोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ह0 / –

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....तोली
....अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

7.11.14
पी0 एस0 डसीला
प्रधान
ग्राम पंचायत -तोली
वि0 ख0– ... अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 03/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– मल्ली तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	चन्द्रमोहन [illegible]	[illegible]
02	जगदीश राम	जगदीश राम
03	किशन राम	किशन राम
04	[illegible] सिंह	[illegible]
05	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
06	[illegible]	[illegible]
07		
08	नन्दन राम	[illegible]
09	[illegible]	
10	पान सिंह डसीला	[illegible]
11	[illegible] सिं	[illegible]
12	पूरन सिंह	[illegible]
13	[illegible] सिंह	[illegible]
14	[illegible] सिंह	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	बसन्त सिंह	बसन्त सिंह
17	मान सिंह	मानसिंह
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

ह0/

ग्राम प्रधान

[illegible] 7.12.14

पी0 एस0 डसीला
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि0 ख0– लमगड़ा, अल्मोड़ा

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नामः—**ठाड़ा मठेणा**

तहसील—**अल्मोड़ा** जिला — **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **ठाड़ा मठेणा** द्वारा दिनॉक 14/08/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ठाड़ा मठेणा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ठानामठेना
वि0ख0—हवालबाग़ (अल्मोड़ा)

ह0/— हेमा देवी
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत — ठाणा मठेणा
अल्मोड़ा

नोटः— *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 14/08/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– ठाड़ा मटेणा।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	भूपाल राम S/o श्री लालू राम	Bhupal
2.	बहादुर राम S/o गंगाराम	बहादुर राम
3-	पूरन राम S/o देवराम	पूरन राम
4	कुन्दन सिंह S/o गोपाल सिंह	Kundan
5-	शिवसिंह S/o शेर सिंह	शिव सिंह
6	पूरन सिंह S/o अमर सिंह	[illegible]
7-	जगदीश राम S/o तिलोक राम	[illegible]
8.	कुंवर सिंह S/o उमेद सिंह	कुंवर सिंह
9-	नन्दन सिंह S/o नारायण सिंह	नन्दन सिंह
10-	गोपाल सिंह S/o रहीम सिंह	गोपाल सिंह

ह0/

ग्राम प्रधान

हेमा देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत – ठाड़ा मटेना
वि0ख0 – लमगड़ा
अल्मोड़ा

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**तल्ली तोली**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **तल्ली तोली** द्वारा दिनॉक 03.11.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **तल्ली तोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ..... तोली ... (अल्मोड़ा)	ह0/– पी0 एस0 डसीला 7.12.14 प्रधान ग्राम पंचायत तल्ली तोली वि0 ख0– ..., अल्मोड़ा
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 03/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– तल्ली तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	~~चन्द्रमोहन तोलिया~~	[illegible]
	जगदीशलाल	जगदीशलाल
(2)	भूपालराम	भूपालराम
(3)	किशनराम	किशनराम
	[illegible]	[illegible]
(4)	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
	नन्दनराम	
	[illegible]	नन्दनराम
	पानसिंह [illegible]	[illegible]
		[illegible]
	धर्मेन्द्र सिंह	RSinhe
	शेर सिंह	
	[illegible]	[illegible]
	आनन्द [illegible]	[illegible]
	बसन्त सिंह	[illegible] बसन्तसिंह
	मानसिंह	मानसिंह

ह0/

ग्राम प्रधान [signature]
7.12.14

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**गौना**

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् **टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **6.229175** हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, **0.1755** हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **6.404675** हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गौना** द्वारा दिनॉक 26/08/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गौना** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ह0/–

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गौना पो0ओ0- ... वि0 ख0 - लमगड़ा (अल्मोड़ा)

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनॉक 26/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– गौना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	आनन्द सिंह S/o श्री बीर सिंह	आनन्द सिंह
2.	जीवन सिंह S/o श्री पूरन सिंह	[illegible]
3.	प्रताप सिंह S/o श्री हुकुम सिंह	[illegible]
4.	राजेन्द्र सिंह S/o श्री पान सिंह	राजेन्द्र सिंह
5.	कुन्दन सिंह S/o श्री बीर सिंह	Kundan
6.	भगवान सिंह S/o श्री गंगा सिंह	भगवान सिंह
7.	आनन्द सिंह S/o श्री शेर सिंह	आनन्द सिंह
8.	मोहन सिंह S/o श्री गोपाल सिंह	मोहन सिंह
9.	पान सिंह S/o श्री उमेद सिंह	पान सिंह
10.	राजन सिंह S/o श्री पदम सिंह	राजन सिंह
11.	उमेद सिंह S/o श्री लाल सिंह	उमेद सिंह
12.	भगवान सिंह S/o श्री बीर सिंह	भगवान सिंह

ह0/

ग्राम प्रधान [illegible]

ग्राम पंचायत - गौना
पो0ओ0- जलना
जि0 ख0 - लमगड़ा (अल्मोड़ा)